20रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत बीस रुपये TWENTY विलोपित 5 रु. पाँच रुपये FIVE 5 रु. भारत विलोपित पाँच रुपये Rs.5 INDIA FIVE RUPEES

147

# न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /निगरानी/2016 विदिशा निग-1955-I-16

बन्टी शर्मा पुत्र कोमल प्रसाद शर्मा,
निवासी–ग्राम/तहसील–त्यौदा, जिला–विदिशा
.....निगरानीकर्ता

बनाम

म.प्र. शासन ..... अनावेदक

श्री कुँवर सिंह कुशवाह एड. द्वारा आज दि. 21-6-16 को प्रस्तुत
21-6-16
क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

**निगरानी आवेदनपत्र धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 के अन्तर्गत प्रस्तुत विरुद्ध आदेश तहसीलदार त्यौंदा विदिशा के प्र. क्र. 12/ए–74/2012–13 आदेश दिनांक 14.06.16 को पारित।**

---------

माननीय महोदय,

निगरानी के आधार निम्न प्रकार पेश है :–

1. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विधान क्षेत्राधिकार बाह्य होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।
2. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय ने रिकार्ड की सूक्ष्मता से अध्ययन किये बिना जो आदेश पारित किया वह स्थिर रखे जाने योग्य है।
3. यह कि, निगरानी एक गरीब चालार व्यक्ति है जो त्यौंदा के निवासी महेश शर्मा की लीज का मुंशी का काम करता है चूंकि तात्कालिक पटवारी व महेश शर्मा की आपसी रंजिश होने के कारण महेश शर्मा का पक्ष लेने हेतु सम्बन्धित पटवारी से मुंह विवाद होने के कारण निगरानीकर्ता के खिलाफ झूठा उत्खन्न का केस बनाकर पैनाल्टी (अर्थ दण्ड) का आदेश पारित किया, के विरूद्ध एस.डी.ओ. के यहां अपील पेश की जो खारिज के विरूद्ध अपर आयुक्त भोपाल संभाग के प्रकरण दर्ज होकर कार्यवाही जारी है, के बाद भी तहसीलदार ने वसूली की कार्यवाही शुरु कर दी निगरानीकर्ता ने आवेदन देकर अपर आयुक्त भोपाल के यहां लम्बित प्रकरण की जानकारी दी उसके बाद भी आवेदन दिनांक 14–06–2016 का खारिज कर दिया ऐसा अनुचित, अवैधानिक आदेश होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।
4. यह कि, चूंकि निगरानीकर्ता महेश शर्मा ठेकेदार का मुंशी की नौकरी करता वह कैसे उत्खनन कर सकता इस तथ्य को नजर अंदाज कर जो आदेश पारित किया वह अनुचित होने से निरस्त किये जाने योग्य है।
5. यह कि, शेष अन्य तथ्य तर्क के समय निवेदित किये जावेंगे।

कुँवर सिंह कुशवाह (एडवोकेट) 21/06/2016

अतः माननीय न्यायालय से विनम्र प्रार्थना है कि निगरानी आवेदनपत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार त्यौंदा का आदेश दिनांक

R 1955/I/16 विदिशा

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही अथवा आदेश<br>यह निगरानी तहसीलदार | पक्षकारों एवं अधि<br>आदि के हस्ताक्ष |
|---|---|---|
| 21.6.16 | त्यौंदा जिला विदिशा व्दारा प्र0क्र0 12 ए–74/12–13 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 14–6–16 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।<br><br>2/ निगरानी की ग्राह्यता पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा तहसीलदार त्यौंदा के अंतरिम आदेश दिनांक 14–6–16 का अवलोकन किया गया, जिसमें अंकित है कि तहसीलदार के समक्ष यह आपत्ति की गई है कि मूल आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, भोपाल संभागके समक्ष अपील विचाराधीन होने से वसूली की कार्यवाही नहीं की जा सकती है। जब बसूली वावत् दिये गये आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष अपील विचाराधीन है तब आवेदक को अपर आयुक्त से स्थगन की मांग करना चाहिये थी, जिसके कारण बसूली कार्यवाही स्थगित रखे जाने के सम्बन्ध में इस न्यायालय में प्रस्तुत निगरानी में प्रचलन–योग्य एंव सुनवाई योग्य नहीं होने से इसी–स्तर पर निरस्त की जाती है।<br><br>सदस्य | |

शाक्षेपुग्वा—766—फॉर्म्स—23-3-13—10,000 प्रपत्र.